न्यायालय, अपर समाहर्ता, मधुबनी।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी ..संख्या.– 94 / 18–19 का प्रकार :

बिहार भूमि सुधार एवं अधिकतम सीमा निर्धारण अधिनियम की धारा– 16(3) अरिया सिलिंग अपील वाद

अर्जीकारः– राम अवतार मुखिया

प्रतिपक्षीः– भगलु मुखिया एवं अन्य।

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	अपीलकर्ताः– 1– राम अवतार मुखिया पिता–स्व0 सुकदेव मुखिया ग्राम–डरहा, थाना+अंचल–खजौली। प्रतिपक्षीगणः–1– भगलु मुखिया पिता स्व0 उत्तीम मुखिया 2– भागवत मुखिया पिता स्व0 उत्तीम मुखिया 3– प्रबोध मुखिया पिता स्व0 उत्तीम मुखिया ग्राम–डरहा, थाना+अंचल–खजौली, जिला–मधुबनी .....**प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष।** 4– सुधांशु शेखर सिंह, पिता–स्व0राम परीक्षण सिंह, ग्राम–सराबे टोले–तारापट्टी, थाना+अंचल–खजौली। .....**प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष।** **विवादित भूखण्डः– खाता संख्या–179 पूराना / 387–नया खेसरा संख्या–164 पुराना, खेसरा–630 नया रकवा– 0–3–0 (तीन कट्ठा)।**	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
	आदेश	
9.3.19	प्रस्तुत अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, मधुबनी के न्यायालय बिहार भूमि सुधार एवं अधिकतम सीमा निर्धारण अधिनियम की धारा–16(3) वाद अभिलेख संख्या– 16 / 18–19 राम अवतार मुखिया–बनाम–भगलु मुखिया वगैरह में पारित आदेश दिनांक–10.09.2018 के विरूद्ध अपीलकर्ता के अपील आवेदन पर प्रारम्भ किया गया। आवेदन प्रविष्टि के बिन्दु पर अंगीकृत करते हुये निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख प्राप्त किया गया एवं पक्षकारों को पक्ष रखने का अवसर दियां गया। प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष के रूप में भागवत मुखिया पिता उत्तीम मुखिया, साकिन–डरहा एवं प्रतिपक्षी–द्वितीय पक्ष की ओर से सुधांशु शेखर सिंह पिता स्व0 राम परीक्षण सिंह, ग्राम–तारापट्टी, थाना–खजौली की ओर से वकालतनामा के साथ वकालतन पक्ष रखा गया। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सूनने के बाद वाद आदेशार्थ रखा गया। **<u>अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत पक्ष का मुख्य अंशः–</u>** 1– यह स्वीकृत तथ्य है कि आवेदन के मद नं. 1 एवं मद नं. 2 में वर्णित भूमि प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष की थी। प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष ने मद नं. 2 में वर्णित अपनी भूमि निबंधित केवाला दिनांक–14.06.2011 को सुकदेव मुखिया पिता अपीलकर्ता को बिक्री कर दखल दे दिया। 2– सुकदेव मुखिया अपने पीछे चार पुत्र 1–गंगाई मुखिया 2–रामअवतार मुखिया (अपीलकर्ता) 3–रामप्रकाश मुखिया वो 4– रामउदगार मुखिया को छोड़कर स्वर्गवासी हो गये। स्व0 पिता की जायदाद पर चारों भाई इजमाल दखलकार हुये तथा इजमाल रहते आ रहे हैं। 3– मद नं. 1 में वर्णित भूमि विवादित भूमि प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष की थी जिसे बिक्री करने का एलान किया। अपीलकर्ता अरिया होने के नाते जमीन क्रय करने की इच्छा जाहिर किया किन्तु प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष ने प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष के पक्ष में निबंधित केवाला दिनांक–20.03.2018 को बिक्री कर दखल कब्जा दे दिया।	

4– जबकि प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष न तो प्रश्नगत भूमि के अरिया रैयत हैं और न ही प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष के को–शेयरर।

5– प्रश्नगत भूमि के निबंधित केवाला 20.03.2018 के पुरवरिया वो पछवरिया चौहद्दी में गंगाई मुखिया का नाम अंकित है। उक्त गंगाई मुखिया अपीलकर्ता के भाई हैं। चूँकि चारों भाई इजमाल चले आ रहे हैं इसलिए अपीलकर्ता तकरारी जमीन के चौहद्दी रैयत सिद्ध होते हैं।

6– निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही नहीं है। कानून का यह स्थापित सिद्धान्त है कि अगर कोई व्यक्ति अपने भाईयों के साथ इजमाल होना जाहिर करता है वो वहीं दूसरी ओर उसका खण्डन किया जाता है तो वैसी स्थिति में खण्डन करनेवाले को ही साबित करना होता है कि आवेदक इजमाल नहीं हैं। विपक्षी ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

7– आवेदक के भाई गंगाई मुखिया विगत चार–पॉच वर्षो से लापता है इसलिए विपक्षी ने जानबूझ कर निबंधित केवाला के चौहद्दी में गंगाई मुखिया का नाम दर्ज कर दिया ताकि गंगाई मुखिया द्वारा कोई अरिया सिलिंग का वाद दायर नहीं हो सके।

8– विपक्षी ने भूमिहीन होना जाहिर किया है जो गलत एवं न्यायालय को धोखा देने की नियत से किया गया है। विपक्षी प्रथम पक्ष को 03 बिघा 4 कट्ठा जमीन विभिन्न–विभिन्न मौजाओं में प्रश्नगत जमीन के अलावे है। विपक्षी ने भूमिहीन होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलकर्ता ने इस आशय का नोटरी, मधुबनी के समक्ष दिये गये शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

प्रतिपक्षी संख्या–1 भगलू मुखिया एवं प्रतिपक्षी संख्या–2 भागवत मुखिया की ओर से संयुक्त वकालतन लिखित बहस का मुख्य अंशः–

1– विपक्षी पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आते हैं इसलिए अपीलकर्ता का वाद भू0हद0अधिनियम की धारा– 27(1) के प्रावधानों से बाधित है। बिहार लैण्ड सिलिंग मैनूअल की संबंधित पन्नों की छाया प्रति बहस के समय प्रस्तुत किया

2– अपीलकर्ता विवादित भूमि के अरिया रैयत नहीं है जो विवादित भूमि के केवाला के चौहद्दी से भी स्पष्ट होगा। अपीलकर्ता प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष के को–शेयरर भी नहीं हैं। प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष भगलू मुखिया के पिता उत्तीम मुखिया, भूमिहीन थे, जिन्हें वासगीत पर्चा से मिली जायदाद में प्रतिपक्षी के पिता का घर–घरारी है।

3– उत्तीम मुखिया को चार पुत्र 1–भगलू मुखिया 2– भागवत मुखिया 3– परमेश्वर मुखिया वो 4– प्रमोद मुखिया एवं एक पुत्री–रंजू देवी है। प्रतिपक्षी प्रथम के दादा बिलट मुखिया को तीन पुत्र एवं तीन पुत्रियॉ थी।

4– प्रश्नगत भूमि के केवाला में दर्ज चौहद्दीदारों में से किसी भी चौहद्दी में अपीलकर्ता का नाम दर्ज नहीं है। तथा दर्ज चौहद्दीदारों में से किसी भी चौहद्दीदार ने दफा 16(3) का वाद दायर नहीं किया हैं। अपीलकर्ता ने मनगढंत एवं गलत आधार पर वाद दायर किया जिसे निम्न न्यायालय ने अस्वीकृत कर दिया।

5– भूमिहीनों के विरूद्ध दफा 16 (3) का प्रावधान प्रभावी नहीं होगा जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय का नियमन है। प्रतिपक्षी की ओर से उक्त कथन के समथर्न में उत्तीम मुखिया को बिहार विशेषाधिकृत व्यक्ति वासभूमि भूधृत अधिनियम के अंतर्गत खजौली अंचल से दिये गये पर्चा की छाया प्रति प्रस्तुत किया।

6–प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष के पिता उत्तीम मुखिया के जीवन काल में इजमाल हालत में क्रय की गई भूमि एवं उनके निधन के बाद क्रय की गई भूमि में से उत्तीम मुखिया के पुत्रों एवं पुत्री के दखल में प्रत्येक के हिस्सा में कुल 2 कट्ठा 12 धूर जमीन ही दखल में है जिससे साबित होगा कि उत्तीम मुखिया

के सभी पुत्री एवं पुत्री भूमिहीन की श्रेणी में आते हैं।
7— अपीलकर्ता का अपील आवेदन वास्ते न्याय वो इन्साफ खर्चा के साथ खारिज किया जाय।

प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष सुधांशु शेखर सिंह की ओर से प्रस्तुत पक्ष का मुख्य अंशः—

1— प्रश्नगत भूमि उनकी रैयती थी। मौजे डरहा थाना खजौली में अवस्थित पूराना खाता नं. 179 जिसका नया खाता नं. 387 वो पुराना खेसरा नं. 164 नया खेसरा नं. 630 से रकवा 6 कट्ठा 17 जरूरीयात हेतु बेचने का उन्होंने एलान किया जिसे क्रय करने हेतु आवेदक के पिता सुकदेव मुखिया वो लीला देवी वो विपक्षी प्रथम पक्ष ने मिलकर खरीदने की बातचीत की। आपस में यह तय हुआ कि प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष तीन कट्ठा, अपीलकर्ता के पिता सुखदेव मुखिया दो कट्ठा दस धूर एवं लीला देवी एक कट्ठा सात धूर जगीन खरीद करेंगे तो इसमें अरिया रैयत होने का प्रश्न नहीं उठता है। अपीलांट के पिता सुकदेव मुखिया वो लीला देवी चूंकि गॉव में ही थे, इसलिए वे केवाला रजिस्ट्री 2011 में ही करा लिया तथा प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष ने 0—3—0 (तीन कट्ठा) जमीन का जरसेमन 2011 में ही बिक्रेता को दे दिया जिसके आधार पर वर्ष 2011 में ही उक्त भूमि पर प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष को दखल कब्जा दे दिया गया। चूँकि भगलू मुखिया एवं उनके सभी भाई उस वक्त मौजूद नहीं थे इसलिए उस समय केवाला तामिल नहीं हो सका। दिनांक—20.03.2018 को निबंधित केवाला तामिल कर दिया। इसलिए पूरब वो पश्चिम चौहद्दी में गंगाई मुखिया का नाम दर्ज हुआ।
2— चूँकि गंगाई मुखिया ने वाद दाखिल नहीं किया है इसलिए आवेदक को वाद दाखिल करने का कोई हक वो अधिकार नहीं है। अपील खारिज किया जाय।

निम्न न्यायालय द्वारा वाद अभिलेख वाद संख्या— 16/2018—19 में पारित आदेश दिनांक—10.09.2018 का मुख्य अंशः—

तकरारी जमीन के पूर्वी एवं पश्चिमी चौहद्दी में गंगाई मुखिया का नाम अंकित है किन्तु यह वाद उनके द्वारा दायर नहीं किया गया है। आवेदक ने ऐसा कोई सुस्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे सिद्ध हो सके कि उनके भाईयों के बीच बटवारा नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में विवादित जमीन पर आवेदक का दावा नहीं बनता है। आवेदक का आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया।

निष्कर्षः—

अपील आवेदन, प्रतिपक्षियों की ओर से प्रस्तुत प्रत्युत्तर, पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किये गये बहस को सूना। प्रस्तुत कागजातों साक्ष्यों का अवलोकन एवं परिसिलन किया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश का भी अवलोकन किया।

प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष ने अपने पिता के नाम मिले बासगीत पर्चा प्रस्तुत किया जो साबित करता है कि इनके पूर्वज भूमिहीन थे जिन्हें वास की भूमि नहीं रहने के कारण अंचल स्तर से वासगीत पर्चा मिला।

अपीलकर्ता की ओर से अपील वाद में शपथ पत्र के माध्यम से प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष को भूमिहीन नहीं बताया। जिसका खण्डन प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष की ओर से करते हुये बताया कि वर्तमान में भी उनके हिस्से में धारित भूमि नगण्य है जो भूमिहीन की श्रेणी में है। अपीलकर्ता की ओर से राजस्व पदाधिकारी (अंचल अधिकारी) के स्तर से प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रमाणित नहीं हो पाया कि वास्तव में प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आते हैं।

विवादित भूमि के निबंधित केवाला में दर्ज चौहद्दी उत्तर–सत्यनारायण साह दक्षिण– रामदयाल सिंह वगैरह पूरब– गंगाई मुखिया वो फिरन मुखिया पश्चिम–गंगाई मुखिया वगैरह एराजी तीन कट्ठा सिंचित दो फसला।

निम्न न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा है कि **तकरारी जमीन के पूर्वी एवं पश्चिमी चौहद्दी में गंगाई मुखिया का नाम अंकित है किन्तु यह वाद उनके द्वारा दायर नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विवादित जमीन पर आवेदक का दावा नहीं बनता है। आवेदक का आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया।**

सारे तथ्यों के विवेचन से भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, मधुबनी द्वारा अपने न्यायालय में संचालित अभिलेख वाद संख्या– 16/2018–19 रामअवतार मुखिया–बनाम–भगलू मुखिया वगैरह में पारित आदेश दिनांक–10.09.2018 में त्रुटि नहीं पाये जाने के कारण हस्तक्षेप की आवश्यकता महशूस नहीं करता हूँ। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा जाता है तथा अपीलकर्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख वापस लौटावें।

आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं।

लेखापित

9-3-19

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

9.3.19

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।